पत्रांकः– 14/ए0एफ0–12/2019...

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक......./......./2021

विषयः– आदर्श चम्पारण महाविद्यालय, कोटवा, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला संकाय में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2021–2024 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक–B/733 दिनांक 27.05.2020 एवं B/1171 दिनांक 18.09.2020 तथा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–1730 दिनांक–12.10.2020 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा–21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या–1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक–14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक–25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने आदर्श चम्पारण महाविद्यालय, कोटवा, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला संकाय में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों के प्रस्तावित विषयों में सत्र 2021–2024 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे सहमति प्रदान की है।

क्र० सं०	संकाय	विषय
01	कला संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू, परसियन, गृह विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल एवं संगीत। (कुल 14 विषयो में)

2. निदेश दिया जाता है कि भविष्य में अगर महाविद्यालय परिनियमानुसार संबंधन के सभी मानकों/शर्त्तो को पूरा करता है तो परिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी संबंधन से संबंधित अनुशंसा उपलब्ध करायी जाय।

आगामी अनुशंसा के पूर्व इस संबंध में मापदंड पूर्ण करने का निदेश संस्था को दें। साथ हीं, परिनियम में अंकित शर्त्तो/मानकों के पूरा नहीं किये जाने एवं अस्थायी संबंधन के अनुशंसा की स्थिति में इसके औचित्य पर प्रकाश डालें।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त हे।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 14/ ए0एफ0–12/2019...–566 पटना, दिनांक 07/06/2021

प्रतिलिपिः– माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/सचिव, आदर्श चम्पारण महाविद्यालय, कोटवा, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2 आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जाय।

सरकार के उप सचिव

Affi Letter 2021